

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

क्र./WDC-PMKSY 2.0/कृषि/22-23/4734

रायपुर दिनांक : 09.01.2023

//विज्ञापन//

छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./1900/एफ-02/04/WDC2.0/2015/14-2 रायपुर दिनांक 28.09.2022 में दिये गये निर्देशानुसार WDC-PMKSY2.0 अंतर्गत प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड कमेटी में सचिव माईक्रोवाटरशेड (संविदा) के एक पद पर भर्ती हेतु वर्ष 2021-22 में जिले के 01 विकासखंड में कुल 01 परियोजना स्वीकृत है। अतएव निम्नानुसार माईक्रोवाटरशेड में सचिव (संविदा) पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

क्र.	माईक्रोवाटरशेड कमेटी का नाम व कोड	परियोजनांतर्गत माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/	पद संख्या	श्रेणी
1	अड़सेना-1 (4G3B4C4b)	अड़सेना-1, मोहदी-2	01	अनारक्षित
2	अड़सेना-2 (4G3B4C4c)	अड़सेना-2, गनियारी मटियाडीह	01	अनारक्षित
3	बंगोली (4G3B4C4e)	बंगोली	01	अनारक्षित
4	पिकरीडीह (4G3B4C4i)	पिकरीडीह, तिल्दाडीह, मुड़पार	01	अनारक्षित
5	बरौंडा (4G3B4C4d)	बरौंडा, सारागांव, बंगोली, अड़सेना	01	अनारक्षित
6	गनियारी (4G3B4C4j)	गनियारी, मुड़पार, पिकरीडीह	01	अनारक्षित
7	मांड (4G3B4C4g) (4G3B4C4h)	मांड-1, मांड-2	01	अनारक्षित
8	मुड़पार-1 (4G3B4C4a)	मुड़पार-1, तिल्दाडीह, गनियारी, अड़सेना, मोहदी-2, मटियाडीह, असौंदा	01	अनारक्षित

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता-

(अ) 12 वीं पास

(ब) माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी एवं कम्प्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

चयन हेतु मेरिट अंक निर्धारण

क्र.	चयन हेतु मेरिट अंक	
1	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	85
2	न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव	5
3	05 वर्ष तक का अनुभव	10
4	05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

1. नियम एवं शर्तें :-

1. वेतन - उपरोक्त संविदा सेवा में एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000.00 रु. देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. मासिक एक मुश्त राशि का निर्धारण वह होगा, जो छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) द्वारा समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लागू किया जायेगा।
3. आरक्षण- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य/संभाग/जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा। आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
4. आयु सीमा - आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छुट संबंधी आदेश/निर्देश नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे।
5. नियुक्ति की अवधि - संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. अवकाश की पात्रता - संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी।
8. प्रसूति अवकाश - शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
9. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जांच हेतु बुलाया जावेगा तदोपरांत ग्राम सभा द्वारा चयनित/अनुमोदित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC द्वारा जारी किया जावेगा।
10. अन्य शर्तें -
 - छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे।
 - संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

df

- नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व इसके एवज में एक माह के देतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात, संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
- किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 25/01/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग रायपुर (छ.ग.) पिन कोड -492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नहीं होगा।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
- नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- लिफाफे के उपर आवेदित पद एवं परियोजना/विकासखंड का नाम अवश्य लिखें।
- यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक माईक्रोवाटरशेड समिति हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड समिति के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25-25 रुपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है।


 कलेक्टर सह अध्यक्ष
 WCDC रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी CGSWMA, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर लभाण्डी, रायपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहा उपाध्यक्ष WCDC जिला पंचायत रायपुर को सूचनार्थ।
3. उप संचाल कृषि, जिला-रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना अधिकारी NIC जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तिल्दा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर सह अध्यक्ष
WCDC रायपुर

आवेदन पत्र

प्रति

उप संचालक कृषि
कृषि विभाग रायपुर
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

- आवेदित पद का नाम :-
1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :-
4. दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में :-
5. जाति वर्ग (अना/अजा/अजजा/अपिव) :-
6. स्थायी पता :-
- :-
7. डाक व्यवहार का वर्तमान :-
- पता एवं फोन नंबर :-
- :-
8. मूल निवासी :-
- (हां/नहीं) यदि हां तो प्रमाण
पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. लिंग (महिला/पुरुष) :-
10. रोजगार कार्यालय का नाम :-
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक :-
11. विकलांग (हां/नहीं) :-
- यदि हां तो विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत
12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

(प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. कार्यानुभव :-

क्र.	कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	वेतन	कार्यावधि

(नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)

14. वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण :-
- अ- नियोक्ता कार्यालय का नाम :-
- ब- धारित पद का नाम एवं वेतनमान :-
15. यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी :-
- पुलिस थानों/न्यायालय में लंबित है अथवा
किसी न्यायालय में निराकृत हो चुके हैं? :-
- यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित :-
- प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी :-
- स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। :-

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :-
दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम

संलग्न सहपत्रों का विवरण (संलग्न किये गये सहपत्र पर सही का निशान लगावें)

1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
3. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र
4. अनुभव प्रमाण पत्र (अनुभव के संबंध में नियुक्ति आदेश संलग्न कराना अनिवार्य होगा)
